न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 91/2016/(2010/00006) जिला–अजमेर

1. श्री सिकन्दर खां
2. श्री समशुद्दीन खां
3. श्री समदनूर खां

पुत्रगण स्व0 हसन खां जाति देशवाली (मुसलमान) निवासीगण ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 30–07–2010
अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 37/2007
बउनवान सिकन्दर व अन्य बनाम सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्री रमजान मोहम्मद अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः–24.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खानपुरा तहसील अजमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 191 मिन, 194, 192, 101, 1003, 1012, 1013, 1022, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1075 से 1079, 1084 से 1088, 1090, 1093, 190, 203, 1094, 1095 अपीलार्थी के पूर्वजों के समय से विरासत में प्राप्त संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जो राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी व उसके भाई मोहम्मद नूर के 1/4, 1/4 [illegible] हिस्सा दर्ज है। अपीलार्थी के भाई नूर मोहम्मद ने उक्त अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि में से अपना 1/4 हिस्सा अपीलार्थी सिकन्दर व समसुदीन के हक में रीलीज डीड दिनांक 27–6–2002 द्वारा त्याग दिया। उक्त रीलीज डीड के पश्चात अपीलार्थी सिकन्दर खां व समसुदीन का भूमि मुतनाजा में 3/[illegible] हिस्सा व समदनूर [illegible] का 1/4 हिस्सा दर्ज करने हेतु अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार अजमेर ने उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1022,

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:40 IST
Reason: SelfAttested

194, 202, 1013, 1064 से 1069 व 1075, 1076, 1078, 1079, 1085, 1086, 1093, व 190 को गजट नोटिफिकेशन दिनांक 4–1–1956 के अनुसार कस्टोडियन विभाग की होने से उक्त खसरा नम्बर के संबंध में नवीन इन्द्राज करने से इन्कार करते हुए मात्र शेष खसरा नम्बरान को अपीलार्थी की पैतृक सम्पत्ति में मानते हुए रीलीज डीड दिनांक 2–7–2002 के अनुसार इन्द्राज स्वीकृति के आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–2010 से अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात में से खसरा नम्बर 1022, 194, 202, 1013, 1064 से 1069 व 1075, 1076, 1078, 1079, 1085, 1086, 1093, व 190 को गजट नोटिफिकेशन दिनांक 4–1–1956 के अनुसार कस्टोडियन विभाग की होने से उक्त खसरा नम्बर के संबंध में नवीन इन्द्राज करने से इंकार करते हुए मात्र शेष खसरा नम्बरान को अपीलार्थी की पैतृक सम्पत्ति में मानते हुए रीलीज डीड दिनांक 2–7–2002 के अनुसार इन्द्राज स्वीकृति के आदेश दे दिये थे जबकि उक्त भूमि कभी भी कस्टोडियन की नहीं थी और ना ही आज है इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 13 (1673)रेस्ट/57/3218 दिनांक 19–12–1957 प्रस्तुत किया था जिसमें केन्द्र सरकार ने जांच से सन्तुष्ट होते हुए और ये मानते हुए कि उक्त भूमि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्यू प्रोपर्टी एक्ट 1950 से प्रभावित नहीं है इसलिए जरिये अन्डर सेकेट्री दिनांक 19–12–1957 को यह आदेश दिया कि उक्त भूमि जो इवेक्यू प्रोपर्टी मानी गयी है वह वापस अपीलार्थी के पिता के नाम कर दी जाये तब से उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता के नाम व उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है और अपीलार्थी बतौर खातेदर कब्जा काश्त चले आ रहे है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि तहसीलदार, अजमेर द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 4–1–56 का हवाला देकर अपीलार्थी की जिस आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1022, 194, 202, 1013, 1064 से 1069 व 1075, 1076, 1078, 1079, 1085, 1086, 1093, व 190 का नामान्तरकरण दिनांक 4–1–1956 के अनुसार कस्टोडियन विभाग की मानकर उनका अपीलार्थी की खातेदारी में नवीन इन्द्राज नहीं करने में भारी भूल की है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों का समुचित विवेचन विश्लेषण किये बिना अपीलार्थी की अपील खरिज कर दी जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:40 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी कथन किया कि न्यायालय सहायक कमिश्नर एवं कस्टोडियन इवेक्यू प्रोपर्टी देहात अजमेर की निगरानी संख्या 6/1950 दिनांक 10–6–1950 जिसमें अपीलार्थीगण के पिता हसन खां ने पेश की थी जो हसन खां बनाम सरकार खाता संख्या 53 जिसका निर्णय दिनांक 13–7–1950 को हुआ जिसमें अपीलार्थी के पिता हसन खां का हिस्सा धारा 2 डी (1) अधिनियम 1950 जिसमें अपीलार्थी के पिता का हिस्सा रीलीज कर दिया गया और अपीलार्थी के पिता की भूमि को खातेदारी में दर्ज कराने के आदेश प्रदान किये गये। अपीलार्थी के पिता हसन खां पुत्र कालू खां ने इस बात का शपथ पत्र पेश किया कि वह भारत छोड़कर कहीं नहीं गया और ग्राम खानपुरा में ही रह रहा हूं। इसी प्रकार अपीलार्थी के पिता के हक में दिनांक 13–7–1950 को ही अपनी पुश्तैनी जायदाद के संबंध में मूल प्रमाणित प्रतिलिपी पेश कर दी गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कस्टोडियन अधिकारी इवेक्यू प्रोपर्टी अजमेर द्वारा दिनांक 27–7–1949 के आदेश की पालना में खाता संख्या 128/2 कायम कर विवादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के पिता हसन खां पुत्र कालू खां की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये।

उन्होंने यह भी कथन किया कि तहसीलदार, अजमेर को जरिये नामान्तरकरण किसी खातेदार के हक व अधिकार खत्म करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है नामान्तरकरण के माध्यम से ना ही खातेदारी दी जा सकती है और ना ही खारिज की जा सकती है इस प्रकार अपीलार्थीगण की जानकारी में उक्त दस्तावेजात नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सके जबकि अपीलार्थीगण अपनी पुश्तैनी जायदाद पर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि आर.आर.डी. 1978 पेज 667 के तहत तहसीलदार को विवादित नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार जब अपीलार्थीगण की आराजी रीलीज दिनांक 13–7–1949 को ही हो चुकी थी ऐसी सूरत में दिनांक 4–1–1956 का गजट नोटिफिकेशन का गलत हवाला देकर तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण के जरिये अपीलार्थीगण का नाम तस्दीक करने से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलार्थीगण की आराजी अपने दादा कालू खां के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी खातेदारी में होकर अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 29–11–2002 क्षैत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलार्थीगण की पुश्तैनी जायदाद को जरिये नामान्तरकरण इन्द्राज करने से मना नहीं किया जा सकता है। तहसीलदर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 29–11–2002 अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:40 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 में प्रावधान है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलार्थीगण के खातेदारी

अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1022, 194, 202, 1013, 1064 से 1069 व 1075, 1076, 1078, 1079, 1085, 1086, 1093, व 190 का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे एवं जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–2010 व तहसीलदार अजमेर के आदेश दिनांक 29–11–2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथाः–

1. आर.बी.जे. (24)2017 पृष्ठ 180 एसबी सिविल रिट पीटिशन नम्बर 4264/2016 शबाना बनाम राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 17–1–2017,
2. आर.आर.डी. 1978 पेज 666 रेफरेन्स नम्बर 74/झुंझुनु 1976 बउनवान राजस्थान सरकार व भोला निर्णय दिनांक 16–10–1978
3. आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1139 रीविजन एल.आर. 2638–2006 बउनवान भैरूलाल बनाम गणेशलाल निर्णय दिनांक 4–12–2015
4. पुर्नवास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या 13(1673) रेस्ट./57/3218 दिनांक 17 दिसम्बर 1957
5. 1n the court of the Additional Assistant Commissioner, and the Additional Custodian of Evacuse Property (Rural) Ajmer. Revision No 8 / 1950 Decision Date 10-6-1950 Applicants Hassan Khan, Samad Khan.
6. RBJ (17) 2010 page 626 SB Civil Writ Petation No 2768/2010 LRs of Teja Singh Versus Board of Revenue and Others.
7. RRD 1992 Page 598 Revision No 156/ Bikaner of 85, Poora Ram & Others V/S Moola Ram & Others decided on 30th May, 1992.
8. RRD 89 page 45 Revision No 14/ Ganganagar of 83, Lamuram V/S State of Rajasthan decided on 1st Nov, 1988.
9. RRD 1990 Page 479 Revision No 68/ Banswara of 88, Goverdhan Singh V/S Khatia (176). decided on 24-5-1990
10. RLW 2017(1) Page 384 SB Civil Execution First Apple No. 1 of 2008, decided on 19-5-2015

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1022, 194, 202, 1013, 1064 से 1069 व 1075, 1076, 1078, 1079, 1085, 1086, 1093, की गजट नोटिफिकेशन दिनांक 4–1–1956 के अनुसार कस्टोडियन विभाग की होने से उक्त खसरा नम्बर के संबंध में नवीन इन्द्राज करने व उक्त के अलावा शेष खसरा नम्बर को अपीलार्थी की पैतृक सम्पत्ति में मानते हुए मुताबिक रीलीज डीड दिनांक 2–7–2002 के अनुसार इन्द्राज स्वीकृत के आदेश दिये है जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथाः– आर. बी.जे. 2018 (71) राजस्थान राज्य बनाम अमर सिंह, अपील/टी.ए. /7069/2013/करोली–खण्डपीठ राजस्व मण्डल।

मैंने अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की अपील मीमो पर सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1022, 194, 202, 1013, 1064 से 1069 व 1075, 1076, 1078, 1079, 1085, 1086, 1093, व 190 गजट नोटिफिकेशन दिनांक 4–1–1956 के अनुसार कस्टोडियन विभाग की मानकर उक्त खसरा नम्बरान का नवीन इन्द्राज करने से इन्कार करते हुए शेष खसरा नम्बर को अपीलार्थी की पैतृक सम्पत्ति में मानते हुए रीलीज डीड दिनांक 2–7–2002 के अनुसार इन्द्राज स्वीकृति के आदेश पारित किये है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र कमांक 13 (1673)रेस्ट/57/3218 दिनांक 19–12–1957 प्रस्तुत किया गया था जिसमें केन्द्र सरकार ने जांच से सन्तुष्ट होते हुए और ये मानते हुए कि उक्त भूमि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्यू प्रोपर्टी एक्ट 1950 से प्रभावित नहीं है इसलिए जरिये अन्डर सेकेट्री दिनांक 19–12–1957 को यह आदेश दिया गया कि उक्त भूमि जो इवेक्यू प्रोपर्टी मानी गयी है वह वापस अपीलार्थी के पिता के नाम कर दी जाये तब से उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता के नाम व उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है और अपीलार्थी बतौर खातेदर कब्जा काश्त चले आ रहे है, जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की खातेदारी आराजियात को पुनः कस्टोडियन से अपीलार्थी के पिता के नाम कर दी जाये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जिसमें न्यायालय सहायक कमिश्नर एवं कस्टोडियन इवेक्यू प्रोपर्टी देहात अजमेर की निगरानी संख्या 8/1950 दिनांक 10–6–1950 जिसमें अपीलार्थीगण के पिता हसन खां ने पेश की थी जो हसन खां बनाम सरकार खाता संख्या 53 जिसका निर्णय दिनांक 13–7–1950 को हुआ जिसमें अपीलार्थी के पिता हसन खां का हिस्सा धारा 2 डी (1) अधिनियम 1950 जिसमें अपीलार्थी के पिता का हिस्सा रीलीज कर दिया गया और अपीलार्थी के पिता की भूमि को खातेदारी में दर्ज कराने के आदेश प्रदान किये गये। अपीलार्थी के पिता हसन खां [illegible] खां ने इस बात का शपथ पत्र पेश किया कि वह भारत [illegible] ग्राम [illegible]नपुरा में ही रह रहा हूं। जिला कलक्टर द्वारा केवल गजट नोटिफिकेशन दिनांक 4–1–56 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–2010

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:40 IST
Reason: SelfAttested

पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। तथ्यपरक समानता होने से यह प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा होते है। प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी ससम्मान अवलोकन किया गया किन्तु यह न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यपरक समानता नहीं होने से यथावत चस्पा नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–2010 अन्तर्गत अपील संख्या 37/2007 बउनवान श्री सिकन्दर खां व अन्य बनाम सरकार व तहसीलदार, अजमेर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 29–11–2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण को पुनः सुनवाई का अवसर देकर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन कर नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:00:40 IST
Reason: SelfAttested